**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 4046**

**मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्टार्टअप को मान्यता**

**4046. डॉ. राज कुमार चब्बेवालः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र और पात्रता संबंधी मानदंडों का विस्तार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त विस्तार से पहले और बाद में देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा पंजाब के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्टार्टअप के लिए विस्तारित मान्यता के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा छोटे शहरों और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को संशोधित मान्यता ढांचे से पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) :** भारत के स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास के स्तर और विविधता को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने हेतु सरकार ने दिनांक 4 फरवरी, 2026 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.108(अ) के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स की मान्यता के दायरे और पात्रता मानदंडों का विस्तार किया है। किए गए मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं:

i. **कारोबार की सीमा में वृद्धि**: जिस वार्षिक कारोबार सीमा तक किसी स्टार्टअप को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है, उसे 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे विकास कर रहे उद्यमों को स्टार्टअप इंडिया पहल के लाभ प्राप्त करते रहने में मदद मिलेगी।

ii. **'डीप टेक स्टार्टअप' श्रेणी को शामिल करना**: उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के लिए विस्तारित पात्रता

मानकों के साथ एक अलग श्रेणी बनाई गई है:

क. आयु सीमा: निगमन या पंजीकरण की तारीख से 20 वर्ष तक।
ख. कारोबार की सीमा: 300 करोड़ रुपए तक, यह स्वीकार करते हुए कि डीप टेकनोलॉजी उद्यमों के मामले में दीर्घकालीन उत्पादन-पूर्व अवधि और अधिक पूंजी आवश्यकता के पहलू जुड़े होते हैं।

iii. **पात्र इकाइयों के प्रकारों का विस्तार**: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम**,** 2002 के तहत पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियां और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां अब निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र हैं। संबंधित राजपत्र अधिसूचना को https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/269843.pdf पर एक्सेस किया जा सकता है।

ये संशोधन स्टार्टअप ईकोसिस्टम और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए थे ताकि नवप्रयोग आधारित जिन उद्यमों और क्षेत्रों को लंबी प्रौद्योगिकी विकास अवधि की आवश्यकता होती है, उन्हें बेहतर सहायता प्रदान की जा सके।

**(ख) और (ग)**: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या वर्ष 2016 के लगभग 500 से बढ़कर 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार 2,12,283 हो गई है। 03 फरवरी, 2026 (संशोधित फ्रेमवर्क से पहले) और 04 फरवरी, 2026 से 28 फरवरी 2026 (संशोधित फ्रेमवर्क के बाद) तक की स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

संशोधित मान्यता फ्रेमवर्क, स्टार्टअप ईकोसिस्टम हितधारकों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है। हालांकि संशोधित फ्रेमवर्क को हाल ही में अधिसूचित किया गया है परंतु पात्रता मापदंडों में यह विस्तार, स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र होने वाले डीप टेक्नोलॉजी उद्यमों और पात्र सहकारी संस्थानों सहित नवप्रयोग आधारित उद्यमों के एक व्यापक समूह को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।

**(घ)**: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप की मान्यता, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर उपलब्ध डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस की जाती है, छोटे

शहरों और गैर-महानगरीय क्षेत्रों सहित ताकि देशभर के उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का लाभ प्राप्त हो सके। मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया, सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण के साथ स्व-प्रमाणीकरण पर आधारित है, और आवेदकों को इस प्रक्रिया में सहायता करने हेतु मान्यता संबंधी पुस्तिकाएं और ट्यूटोरियल जैसी मार्गदर्शक सामग्री पोर्टल पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार स्टार्टअप पहचान को बढ़ावा देने और उभरते स्टार्टअप केंद्रों में नवप्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए राज्य स्टार्टअप नोडल एजेंसियों, इन्क्यूबेटरों और अन्य ईकोसिस्टम हितधारकों के सहयोग से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आउटरीच, जागरूकता और ईकोसिस्टम विकास पहल करती है। स्थानीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने और छोटे शहरों से भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, राज्यों हेतु स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, स्टार्टअप महाकुंभ, एसेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) जैसी राष्ट्रीय पहलें, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित जागरूकता कार्यशालाएं, और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जैसे कार्यक्रम देशभर के उद्यमियों को निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और नीति निर्माताओं से जुड़ने का मंच प्रदान करते हैं, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है और गैर-महानगरीय तथा उभरते नवप्रयोग क्लस्टरों में से स्टार्टअप भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 17.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4046 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

देशभर में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **03 फरवरी, 2026 तक स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या** | **04 फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या** |
|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 93 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 4015 | 122 |
| अरुणाचल प्रदेश | 88 | 3 |
| असम | 2070 | 48 |
| बिहार | 4757 | 153 |
| चंडीगढ़ | 670 | 12 |
| छत्तीसगढ़ | 2306 | 62 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 90 | 1 |
| दिल्ली | 20318 | 352 |
| गोवा | 785 | 13 |
| गुजरात | 18234 | 459 |
| हरियाणा | 11033 | 281 |
| हिमाचल प्रदेश | 783 | 18 |
| जम्मू और कश्मीर | 1452 | 35 |
| झारखंड | 2000 | 59 |
| कर्नाटक | 21647 | 428 |
| केरल | 8278 | 173 |
| लद्दाख | 25 | 0 |
| लक्षद्वीप | 3 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 7090 | 208 |
| महाराष्ट्र | 36861 | 816 |
| मणिपुर | 258 | 6 |
| मेघालय | 92 | 2 |
| मिजोरम | 64 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| नागालैंड | 116 | 3 |
| ओडिशा | 3686 | 75 |
| पुदुच्चेरी | 226 | 8 |
| पंजाब | 2372 | 50 |
| राजस्थान | 7714 | 192 |
| सिक्किम | 18 | 2 |
| तमिलनाडु | 14124 | 293 |
| तेलंगाना | 11780 | 346 |
| त्रिपुरा | 201 | 8 |
| उत्तर प्रदेश | 20782 | 593 |
| उत्तराखंड | 1744 | 51 |
| पश्चिम बंगाल | 6965 | 161 |
| **कुल** | **212740** | **5037** |

*****